सर्व सेवा संघ SARVA SEVA SANGH

(अखिल भारत सर्वोदय मंडल) (Akhil Bharat Sarvodaya Mandal)

महादेवभाई भवन, सेवाग्राम,वर्धा–442102 (महाराष्ट्र)

Mahadevbhai Bhavan, Sevagram, Wardha – 442102 (Maharashtra)

Phone No. 07152 - 284061, 284091 ; FAX : 284152

E - mail : sarvasevasangh@yahoo.in / sarvasevasangha@hotmail.com / sarvaseva.sarvodaya@gmail.com

Letter: 105/2022-23 Date : 14/05/2022

सेवा में,

सभी अध्यक्ष, राज्य सर्वोदय मंडल

सभी अध्यक्ष, जिला सर्वोदय मंडल

सभी सदस्य, कार्यकारिणी, सर्व सेवा संघ

सदस्य, ट्रस्टी मंडल, सर्व सेवा संघ .

सर्व सेवा संघ के सभी सहभागी अनुष्ठान और सहियोगी मित्रो के जानकारी के लिए ।

विषय: श्वेतपत्र के संदर्भ में ।

आदरणीय बहन / भाई

सादर जय जगत ।

सर्व सेवा संघ, सेवाग्राम, वर्धा में बीते सितंबर 2020 से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इसके एक सच्ची रिपोर्ट श्वेत पत्र के रूप में आपको अवगत करने के लिए भेज रहा हूं । कई लोग बेहद गंदे और नकारात्मक टिपण्णी भिन्न - भिन्न ग्रुप में दे रहे हैं, सच सबको ज्ञात होना चाहिये, इसलिए यह प्रयास हुआ है ।

सत्य ही ईश्वर है ।

धन्यवाद के साथ।

आपका स्नेहानुरागी

(गौरांगचंद्र महापात्र)

महामंत्री

संलग्न: श्वेतपत्र

श्वेत पत्र

श्वेत पत्र क्यों?

समाज जीवन में कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि लोगों को सही या गलत का निर्णय करना कठिन हो जाता है। जब घटनाएं तेजी से घटती हैं, घटनाओं के कर्ता क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहां खड़े हैं, इसकी स्पष्टता नहीं होती है; तब लोग भ्रमित हो जाते हैं और ताने और बाने इस तरह उलझ जाते हैं कि छोर ही नहीं मिलता, और मिलता है तो वह कहां जाता है, समझ में ही नहीं आता। ऐसी परिस्थितियों में श्वेत पत्र जारी करने का रिवाज है, ताकि बादल छटे और प्रकाश का आगमन हो। और, लोगों को मालूम पड़े कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है।**वास्तव में सत्य का खुलासा करना ही श्वेत पत्र का उद्देश्य है।**

श्वेत पत्र तथ्यात्मक होता है

स्वाभाविक है कि श्वेत पत्र आरोपात्मक नहीं होता है। यह रक्षात्मक भी नहीं होता है। यह साक्ष्यात्मक भी नहीं हो सकता, क्योंकि धुंधलेपन में साक्षियों को बहुत कुछ साफ-साफ नजर नहीं आता है, इसलिए **श्वेत पत्र तथ्यात्मक होता है।** बिना किसी व्याख्या के **श्वेत पत्र में तथ्य बयान किये जाते हैं।** हम यहां श्री महादेव विद्रोही के सर्व सेवा संघ अध्यक्ष पद के दूसरे कार्यकाल में जो कुछ हुआ, वह सब बिना कोई अपनी व्याख्या शामिल किये, ज्यों का त्यों बयान कर रहे हैं।

हम श्वेत पत्र जारी कर रहे हैं, तो आप हमसे कुछ अपेक्षा भी रख सकते हैं, जो आपका अधिकार है –

1. इस श्वेत पत्र में जो कुछ भी कहा गया है, वह उपलब्ध प्रमाणों के आलोक में सत्य है।
2. हम प्रमाण सिद्धता की जिम्मेवारी लेते हैं, और यदि आप इससे विपरीत प्रमाण पेश करेंगे तो हम क्षमा याचना के साथ इसमें सुधार करने के लिए वचनबद्ध हैं।
3. भरोसा रखिये, यह श्वेत पत्र हमारे लिए हलफनामा है।

तो, घटनाएं इस क्रम में घटीं :

1. मार्च 2017 में सर्व सेवा संघ का अधिवेशन मोतीहारी, चम्पारण में हुआ था, जिसमें श्री महादेव विद्रोही दूसरे कार्यकाल के लिए सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष चुने गये थे। यह चुनाव सर्वानुमति से हुआ था।
2. श्री महादेव विद्रोही का सर्व सेवा संघ के साथ प्रशासकीय रिश्ता निम्न क्रम में रहा है –

   (अ)2008 से 2011 महामंत्री।

   (आ) 2011 से 2014 प्रबंधक ट्रस्टी।

   (इ) 2014 से 2017 अध्यक्ष।

   (ई) 2017 से 2020 अध्यक्ष

   (उ) 2020 में फिर से एक बार खुद को प्रबंधक ट्रस्टी घोषित कर लिया।

   (कानूनी या गैरकानूनी, समय तय करेगा।)
3. मोतीहारी चुनाव के पश्चात श्री महादेव विद्रोही ने जिस कार्यसमिति का गठन किया था, वह इस प्रकार है –श्री महादेव विद्रोही (अध्यक्ष), श्री हुसैन शेख (महामंत्री), श्री रमेश पंकज (मंत्री)और इसके अतिरिक्त अध्यक्ष द्वारा नियुक्त सदस्य, प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष (पदेन), प्रदेश सर्वोदय मंडल के संयोजक (पदेन), सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष (पदेन)। **संघ के पूर्व अध्यक्षों को परम्परानुसार कार्यसमिति में आमंत्रित सदस्य रखा जाता रहा है, जिसे श्री महादेव विद्रोही ने कार्यसमिति में प्रस्ताव किये बिना समाप्त कर दिया।**
4. सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री जयवंत मठकर के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात नये अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सर्व सेवा संघ कार्यसमिति की बैठक में चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान श्री महादेव विद्रोही ने स्वयं ही श्री टी.आर.एन.प्रभु को सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया गया। इसके पहले श्री टी.आर.एन. प्रभु सर्व सेवा संघ के प्रबंधक ट्रस्टी के रूप में कार्यरत थे।
5. श्री टी.आर.एन. प्रभु ने इस निर्णय के पश्चात आश्रम के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया था।
6. गांधीजी की 150वीं जयंती के अवसर पर सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के परिसर में कांग्रेस पार्टी अपनी कार्यसमिति की बैठक करना चाहती थी। इस आशय का एक प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी की ओर आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष के पास आया। अतीत में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बापू की निष्ठा में आश्रम में हुई है। श्री टी.आर.एन. प्रभु

का मंतव्य था कि कांग्रेस के नेताओं का आश्रम में स्वागत किया जायेगा, वे बापू कुटी में प्रार्थना करना चाहते हैं तो इसकी व्यवस्था भी की जायेगी, लेकिन कार्यसमिति की बैठक वे कहीं अन्यत्र कर लें। बापू की निष्ठा में कांग्रेस की बैठक आश्रम में उस समय होती थी, जब बापू जीवित थे और तब की कांग्रेस आज के कांग्रेस से भिन्न है। तब कांग्रेस आजादी के आंदोलन की मशाल थी और आज वह राजनैतिक दल है। आश्रम एक पवित्र तपोभूमि है, जहां राजनैतिक दलों की बैठकें नहीं हो सकतीं। आश्रम किसी भी राजनैतिक नेताओं को आने से रोकता नहीं है, स्वागत करता है। प्रार्थना करनी हो तो सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है, लेकिन राजनैतिक बैठक आश्रम परिसर में नहीं होनी चाहिए। आज यदि किसी एक दल को बैठक करने देंगे, तो कल दूसरा दल भी आकर मांग करेगा और आगे तीसरा। इस क्रम में से कोई बापू के विचारों से बिल्कुल विपरीत विचार रखने वाला भी हो सकता है। **श्री प्रभु का आग्रह था कि हमें ऐसी गलत परम्परा नहीं बनानी चाहिए।**

7. श्री महादेव विद्रोही का मानना था कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आश्रम में करने देना चाहिए, क्योंकि आज की कांग्रेस भी बापू के प्रति निष्ठा रखने वाली कांग्रेस है।
8. समय बहुत कम था, 02 अक्टूबर की तिथि नजदीक थी और कांग्रेस को जवाब देना था। दूसरी ओर श्री चंदन पाल के संयोजन में जो शांति मिशन कोलकाता से बांग्लादेश जाने के लिए तैयार हुआ था उसमे शामिल होने के लिये श्री महादेव विद्रोही कोलकाता रवाना हो चुके थे। श्री महादेव विद्रोही के साथ सलाह-मशविरा करके कोई रास्ता निकालने के उद्देश्य से श्री प्रभु कोलकाता गये। बांग्लादेश के बॉर्डर तक साथ गये, लेकिन श्री महादेव विद्रोही अपने निर्णय पर अड़े रहे।
9. श्री प्रभु ने आश्रम पहुंचकर निर्णय लिया कि कांग्रेस सहित किसी भी राजनैतिक दल की राजनैतिक बैठक आश्रम परिसर में नहीं होगी। आश्रम की गरिमा और भविष्य की दृष्टि से ऐसा करने देना उचित नहीं होगा।
10. श्री महादेव विद्रोही अपने अध्यक्षीय अधिकार का उपयोग करते हुए आदेश देना चाहते थे, तब सर्व सेवा संघ के महामंत्री श्री शेख हुसैन (जो उस समय बांग्लादेश में श्री महादेव विद्रोही के साथ थे) ने बीच का रास्ता सुझाया कि कांग्रेस के नेता बापू कुटी में प्रार्थना करें और सर्व सेवा संघ के प्रधान कार्यालय, महादेवभाई भवन में कार्यसमिति की बैठक कर लें। श्री विद्रोही ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। संकट टल गया और कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक सर्व सेवा संघ के प्रधान कार्यालय, सेवाग्राम में सम्पन्न हुई।

11. आश्रम के उपयोग को लेकर इस प्रकार के मसले भविष्य में उपस्थित हो सकते हैं, इसलिए साधक-बाधक (हित-अहित) की चर्चा करके नीति बनानी चाहिए, ऐसा सुझाव आना स्वाभाविक था। सर्व सेवा संघ और सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान एक दल निरपेक्ष संगठन है, अत: हमें दल निरपेक्षता को व्याख्यायित करनी चाहिए, ऐसी जरूरत महसूस की गयी।
12. दिनांक 28-29 नवंबर 2018को जयपुर में सर्व सेवा संघ कार्यसमिति की बैठक हुई थी। उस बैठक में नीति निर्धारण करने के बजाय श्री महादेव विद्रोही ने सीधे टी.आर.एन. प्रभु को कहा कि वे सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष पद से तत्काल इस्तीफा दे दें। श्री प्रभु ने बैठक में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि समयाभाव में आश्रम समिति की बैठक बुलाना संभव नहीं हो सका था, कुछ लोग बांग्लादेश गये थे, फिर भी कोलकाता और बांग्लादेश के बॉर्डर तक जाकर, जितना संभव था, सभी से सलाह-मशविरा किया और जो तत्कालीन परिस्थिति में उचित लगा,अपने अधिकार के तहत निर्णय लिया। यदि कार्यसमिति को लगता है कि मैंने जो निर्णय लिया, वह गलत है और मुझे हटाने का कार्यसमिति और अध्यक्ष का अधिकार है, तो कार्यसमिति प्रस्ताव पारित करके मुझे अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर सकती है। मुझे जब लगेगा कि मैंने गलत किया है, तब मैं इस्तीफा दूंगा। फिलहाल मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है। श्री प्रभु को आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव बैठक में आया ही नहीं, क्योंकि कार्यसमिति के आखिरी सत्र का करीब-करीब 80 प्रतिशत का समय श्री महादेव विद्रोही की उत्तेजना को शांत करने में खर्च हो गया। श्री महादेव विद्रोही को शांत करने में सबसे अहम भूमिका उनकी पत्नी श्रीमती नीता महादेव ने निभायी थी। इसके अलावा श्री चंदन पाल ने श्री महादेव विद्रोही और श्री टी.आर.एन.प्रभु को कहा दोनों अलग से मिलकर निर्णय को निपटा ले. दोनों मिले थे जरुर लेकिन रास्ता नहीं निकला.

    यहां हम बता दें कि श्री प्रभु को हटाने का विषय एजेण्डा में था ही नहीं। वह तो आखिर में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय के अंतर्गत लाया गया था। अध्यक्ष श्री महादेव विद्रोही स्वयं थे, इसलिए अनुमति का तो सवाल ही नहीं था।
13. कार्यसमिति की जयपुर के इस बैठक के बाद अगली बैठक दिनांक 11 मार्च 2019 को रायपुर में हुई। यहां भी करीब-करीब जयपुर बैठक की ही पुनरावृत्ति रही। रायपुर बैठक में भी श्री प्रभु को अध्यक्ष पद से हटाने का विषय एजेंडा में नहीं था। आखिरी दिन, आखिरी वक्त 'अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय' की श्रेणी में श्री महादेव

विद्रोही ने श्री प्रभु को अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव रखा। **काफी आग्रह के बावजूद वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।**

14. रायपुर के बाद वर्ष 2020 की 12-13 जनवरी को मुम्बई में कार्यसमिति की बैठक हुई। फिर एक बार जयपुर और रायपुर की तरह पुनरावृत्ति। श्री प्रभु को अध्यक्ष पद से हटाने का विषय एजेंडा में नहीं था और इस बार तो श्री प्रभु भी उपस्थित नहीं थे। दूसरे दिन आखिरी बैठक में 'अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय'की श्रेणी में श्री महादेव विद्रोही ने विषय निकाला कि श्री प्रभु को आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए। एक बार फिर कई सदस्यों ने विरोध किया, लेकिन श्री महादेव विद्रोही किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनके मौखिक प्रस्ताव को केवल अरविन्द रेड्डी, लक्ष्मी दास के साथ 3-4 सदस्यों ने अनुमोदन किया था। आखिर में जब बहस तेज होती गयी तब स्व. श्री भवानी शंकर कुसुम ने रास्ता निकालते हुए प्रस्ताव रखा कि सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष श्री महादेव विद्रोही को आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री टी.आर.एन.प्रभु से बात करने की अनुमति और अधिकार दिया जाय। वैसे तो बात करने के लिए किसी की भी अनुमति की जरूरत नहीं होती है, लेकिन संकट को टालने के लिए कार्यसमिति के सदस्यों ने उसे मान्य किया।
15. मुम्बई की बैठक में श्री महादेव विद्रोही के मौखिक प्रस्ताव का सबसे अधिक और मुखर विरोध आशा बहन बोथरा ने किया था और श्री अरविन्द रेड्डी, डॉ.विश्वनाथ आजाद, श्री लक्ष्मीदास ने मुखर समर्थन किया था। **श्री प्रभु को निकालने के प्रस्ताव को कार्यसमिति की अब तक मंजूरी नहीं मिली थी।**
16. मुम्बई कार्यसमिति की कार्यवाही **महामंत्री के बदले श्री महादेव विद्रोही ने खुद लिखा और श्री प्रभु के बारे में निर्णय लेने की अध्यक्ष को अधिकार अंकित कर दिया गया। जब ड्राफ्ट कार्यवाही की प्रति सबको मिली तब श्री आदित्य पटनायक, चंदन पाल आदि ने सुझाव में लिखा कि श्री प्रभु के साथ बात करके ही अगली कोई कार्यवाई किया जाय।**
17. लेकिन, श्री महादेव विद्रोही ने श्री आदित्य पटनायक जैसे वरिष्ठ सदस्य के सुझाव को दरकिनार करते हुए एक आदेश जारी किया, जिसके तहतउन्होंने **श्री आशा बोथरा को सेवाग्राम आश्रम कमेटी में से हटा दिया** और उनकी जगह श्री लक्ष्मीदास की नियुक्ति कर दी।
18. इस निर्णय के बारे में जानकारी मिली कि संविधान में ऐसा अधिकार अध्यक्ष को है। **यहां उल्लेख करना समीचीन होगा कि श्री महादेव विद्रोही का कार्यकाल 25 मार्च**

2020 को समाप्त हो गया था।उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझी और खुद को रेगुलर अध्यक्ष मानते हुए ऐसा आदेश प्रेषित किया। इतना ही नहीं, बाद में अध्यक्ष के नाते वे अपने सांविधानिक अधिकार को मनमाने तरीके से इस्तेमाल करते रहे।

19. उपरोक्त तथ्यों का प्रमाण है कि श्री महादेव विद्रोही द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष होने के बावजूद भी कार्यसमिति के कई सदस्यों को बदल दिया गया, जबकि सर्व सेवा संघ संविधान के अनुसार यह अधिकार केवल चुने हुए अध्यक्ष को ही प्राप्त है। **कार्यवाहक अध्यक्ष कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकता।**
20. जयपुर, रायपुर और मुम्बई की कार्यसमिति के मिनट्स में विरोध करने वालों की बातों को दर्ज नहीं किया गया है। मिनट्स भी बाद में बनती थी और वह खुद महादेव विद्रोही बनाते थे। **(प्रमाण हेतु कार्यसमिति के उक्त तीनों बैठकों का मिनट्स देखा जा सकता है)।**
21. सर्व सेवा संघ का अगला अधिवेशन 31 मार्च 2020 को केरल के कोट्टयम में होना तय था, इसी अधिवेशन में अगले अध्यक्ष का चुनाव होना था। श्री भवानी शंकर कुसुम चुनाव अधिकारी बनाये गये। कोरोना संकट के कारण यह अधिवेशन नहीं हो पाया।
22. **श्री महादेव विद्रोही का कार्यकाल 25 मार्च 2020 को समाप्त हो गया।**
23. संघ के महामंत्री श्री शेख हुसैन को 12 सितंबर 2019 की बैठक में सर्वोदय समाज के संयोजक नियुक्त हो जाने के कारण श्री चंदन पाल को महामंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए दिनांक 18 मार्च 2020 को श्री महादेव विद्रोही से कहा कि 'मैं आश्रम जाता हूं और श्री प्रभु से बातचीत करके उन्हें यहां लेकर आता हैं,और आप दोनों साथ बैठकर मसले को खत्म कर दीजिये।'तब श्री महादेव विद्रोही ने श्री चंदन पाल को जवाब दिया कि 'मैंने उन्हें आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया है, अब बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है।'
जब श्री चंदन पाल ने कहा कि मुम्बई की बैठक में आपको बातचीत करने को कहा गया था, तो आपने बातचीत किये बगैर बर्खास्त कैसे कर दिया। तो **उन्होंने कहा कि 'अपने अध्यक्षीय अधिकार के तहत'।**(बर्खास्तगी आदेश क्रमांक 401/2020-21 दि. 18 मार्च 2020।)
24. श्री चंदन पाल कोलकाता लौटे और वहां से उन्होंने श्री महादेव विद्रोही और श्री टी.आर.एन.प्रभु को पत्र लिखकर प्रार्थना की कि कृपया आप दोनों साथ बैठ जाइये और मसले को समाप्त कीजिये। यह सब हमें शोभा नहीं देता। आप लोग चाहे तो हम

बीच में रहने के लिये तैयार हूं. (श्री चंदन पाल का पत्र 26 मार्च 2020) श्री प्रभु टेलीफोन से बैठने के लिए श्री पाल को कहा लेकिन श्री विद्रोही नहीं तैयार थे.

25. प्रतिसाद में श्री महादेव विद्रोही ने 01 जून को पत्र लिखकर श्री चंदन पाल को महामंत्री पद से हटा दिया। (श्री महादेव विद्रोही का पत्र और श्री चंदन पाल का जवाब)

26. इसके बाद श्री महादेव विद्रोही ने 08 जून को जूम पर बैठक ली, तो उसमें निम्न अनुशंसाएं की गयीं – आश्रम और श्री महादेव विद्रोही के बीच का विवाद समाप्त करने के लिए पांच सदस्यीय (इसमें डॉ.शिवचरण ठाकुर ने राजीनामा दे दिया तो बचे चार – श्री भवानी शंकर कुसुम, श्री जयवंत मठकर, श्री अरविन्द रेड्डी और श्री लक्ष्मीदास) समिति बनायी जाये और समिति 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। समिति की रिपोर्ट के अनुसार श्री महादेव विद्रोही को श्री चंदन पाल, श्री प्रभु और श्री रमेश पंकज का इस्तीफा वापस लेने को कहा गया था, पर श्री महादेव विद्रोही ने ठीक उल्टा किया।

27. श्री प्रभु को आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष पद से हटाये जाने की खबर जब 19 मार्च को अखबारों में छपी, तो आरोप-प्रत्यारोप होने लगे और सरकारी एजेंसियां जानकारी लेना शुरू कीं, तब कुछ गांधीजनों को लगा कि कहीं कुछ अवांछित न हो जाये। इसलिए श्री महादेव विद्रोही को पुनर्विचार करने और कदम वापस लेने की प्रार्थना करते हुए कई सारे लोगों ने कई सारे पत्र लिखे। इनमें सर्वश्री अमरनाथ भाई, सुश्री राधा बहन भट्ट, डॉ. सुगन बरंठ (तीनों पूर्व अध्यक्ष) के व्यक्तिगत पत्र, पूर्वाध्यक्षों का संयुक्त पत्र, महामंत्री पद से हटाये जाने के बावजूद श्री चंदन पाल द्वारा लिखा गया पत्र के अतिरिक्त पचीस से लेकर दो सौ लोगों के हस्ताक्षर से भेजे गये कई सारे संयुक्त पत्र, श्री भवानी शंकर कुसुम और उनके साथ प्रा. मथाई, श्री आदित्य पटनायक, श्री जयवंत मठकर द्वारा लिखा गया संयुक्त पत्र, डॉ.के.एम.नटराजन, श्री भवानी शंकर कुसुम द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत पत्र का उल्लेख करना जरूरी है। सभी पत्रों में करीब-करीब एक ही गुहार थी; रुक जाइये और आप अपने विवादास्पद निर्णय वापस लीजिए। श्री भवानी शंकर कुसुम का पत्र और श्री महादेव विद्रोही का जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन उसका महत्व का अंश श्री भवानी भाई के नाम से 'सर्वोदय जगत'में प्रकाशित हुआ है। श्री भवानी शंकर कुसुम, श्री आदित्य पटनायक और अन्य

तीन लोगों का लिखा हुआ पत्र भी हमारे पास नहीं है, जो आदित्य पटनायक से मिल सकता है।)

28. श्री रमेश पंकज को सत्य नहीं बताकर उनके नाम का उपयोग करके श्री महादेव विद्रोही ने एक नोटिस (क्रमांक 26/2020-21 दिनांक 03.06.2022) निकाली थी। इस अनैतिक कृत्य से क्षुब्ध होकर श्री रमेश पंकज ने अपना इस्तीफा दे दिया था।
29. महादेव के कृत्य से तंग आकर टी.आर.एन. प्रभु ने दिनांक 22 मई 2020 को अपना इस्तीफा दे दिया। वर्धा के गांधी संस्थाओं के लोगों तथा देश भर के गांधीजनों ने श्री प्रभु को इस्तीफा वापस लेने की विनंती की, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दिनांक 13 जून 2020 को वापस ले लिया। (गांधी संस्थाओं का पत्र द्रष्टव्य)
30. जब श्री महादेव विद्रोही किसी भी स्थिति में कदम पीछे लेने को तैयार नहीं थे, तो भवानी भाई ने एक व्यक्तिगत पत्र लिखकर कार्यसमिति बुलाकर निर्णय लेने का निवेदन किया। उनके निवेदन के उत्तर में श्री महादेव विद्रोही ने उन्हें अनाप-शनाप लिखा। फिर कई लोगों ने मिलकर पत्र लिखा। जब इतने लिखने के बावजूद भी श्री महादेव विद्रोही के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तब कार्यकारिणी के सारे सदस्यों ने तय किया कि जूम पर बैठक बुलायी जाय। चुनाव अधिकारी श्री भवानी शंकर कुसुम और प्रबंधक ट्रस्टी श्री अशोक कुमार शरण ने मिलकर 23 सितंबर 2020 को जूम पर कार्यकारिणी की बैठक बुलायी, जिसमें तीन पूर्व अध्यक्ष और कुछ कार्यकारिणी और ट्रस्टी मंडल के सदस्य भी थे। चर्चा में श्री महादेव विद्रोही के सभी क्रियाकलापों पर विस्तृत चर्चा करने के उपरांत श्री विद्रोही को कार्यमुक्त करने का निर्णय हुआ और श्री चंदन पाल को, श्री आदित्य पटनायक के सुझाव पर सर्वानुमति से कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया।
31. कोरोना काल में श्री महादेव विद्रोही अपने घर से कभी निकले ही नहीं थे। उन्होंने सेवाग्राम का कार्यालय चलाने के लिए श्री प्रशांत गुजर को कार्यालय मंत्री बनाये थे। उनके हस्ताक्षर से कई गलत पत्र उन्होंने लिखवाया।
32. फिर श्री महादेव विद्रोही ने आनन-फानन में श्री लक्ष्मण सिंह को, उनसे बिना पूछे महामंत्री, प्रो. आनंद किशोर और महाराष्ट्र के श्री चंद्रकांत चौधरी को मंत्री घोषित किया। इसके साथ ही फर्रूखाबाद में सर्व सेवा संघ का अगला अधिवेशन भी घोषित किया। (जो व्हाट्सअप पर उपलब्ध है) इस पत्र को जारी करने वाले भी कार्यालय मंत्री श्री प्रशांत गुजर ही थे।

33. एडवोकेट श्री लक्ष्मण सिंह को जब महसूस हुआ कि श्री महादेव विद्रोही द्वारा उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, तब उन्होंने स्वयं निर्णय लेते हुए फर्रूखाबाद में होने वाले अधिवेशन को रद्द कर दिया और महामंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया।
34. श्री महादेव विद्रोही कार्यालय मंत्री श्री प्रशांत गुजर से स्वयं द्वारा लिखे पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाने लगे। अहमदाबाद से सेवाग्राम कार्यालय में आये सभी पत्रों को श्री प्रशांत गुजर ही स्वयं हस्ताक्षर किया करते थे। जब लोकसेवक पत्र नवीनीकरण का मामला सामने आया, तो श्री महादेव विद्रोही ने सही न लिखते हुए प्रशांत गुजर को कार्यालय मंत्री की हैसियत से हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया, **तब देर से ही सही, श्री प्रशांत गुजर को श्री विद्रोही के उद्देश्यों का पता चल गया और वे तुरंत अपना इस्तीफा देकर अपने कार्यालय मंत्री के पद से मुक्त हो गये।**
35. सितंबर 23, 2020 में जब कार्यसमिति द्वारा श्री महादेव विद्रोही को पदमुक्त कर श्री चंदन पाल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, तो श्री विद्रोही को कुछ आशंका हुई होगी, इसलिए श्री विद्रोही ने 24 सितंबर को सर्व सेवा संघ में खाना बनाने वाली रंजना ताई को फोन करके खाना बनाने और कमरे की सफाई करने के लिए कहा। आशंकित श्री महादेव विद्रोही ने कार्यालय में अपना नियंत्रण बनाये रखने के लिए बिना किसी कारण के कार्यालय आदेश (क्रमांक 107/2020-21 दिनांक 24 सितंबर 2020) द्वारा 25 सितंबर, 2020 को प्रधान कार्यालय में अवकाश घोषित कर दिया और 25 सितंबर की सुबह सेवाग्राम स्थित सर्व सेवा संघ के गेस्ट हाउस का ताला तोड़कर (जो पहले से लगा था) अपना ताला लगा दिया। इस वक्त उनके साथ वर्धा के कुछ कथित कांग्रेसी भी थे, जिनके साथ ताला लगाने के बाद वे वापस चले गये। कार्यकारिणी ने श्री विद्रोही की मंशा का आभास होते ही श्री अविनाश काकड़े को कार्यालय की सुरक्षा का दायित्व सौंप दिया। श्री काकड़े 25 सितंबर 2020 को गेस्ट हाउस पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि श्री विद्रोही ने नया ताला लगा दिया है। कुछ समय इंतजार करने के बाद श्री विद्रोही अपने साथियों के साथ वापस आये और गेस्ट हाउस में प्रवेश करने का प्रयास किया। श्री अविनाश काकड़े और उनके साथियों ने श्री विद्रोही को गेस्ट हाउस में प्रवेश करने से रोका और उनसे कहा कि आप यहां रह सकते हैं, लेकिन आपका कोई अन्य साथी यहां नहीं रह सकता। श्री विद्रोही गुस्से में आकर चले गये और सेवाग्राम थाने में श्री काकड़े और श्री चंदन पाल के नाम पर शिकायत दर्ज करायी।

36. श्री अविनाश काकड़े ने परिस्थिति को देखते हुए कार्यालय को बंद कर दिया। 25 सितंबर को श्री चंदन पाल और श्री गौरांग माहापात्र सेवाग्राम पहुंचे और 26 सितंबर को चार्ज ले लिया। उनके साथ महाराष्ट्र प्रदेश सर्वोदय मंडल और वर्धा जिला सर्वोदय मंडल के सदस्य काफी संख्या में थे। 26 सितंबर को जिलाधिकारी, वर्धा द्वारा सभी स्थानीय गांधीयन संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित अध्यक्ष सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान, सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष के नाते श्री चंदन पाल तथा श्री महादेव विद्रोही की उपस्थिति में एक बैठक आहूत की गयी, जिसमें श्री चंदन पाल, श्री अविनाश काकड़े और गौरांग महापात्र से बातचीत हुई। श्री महादेव विद्रोही बैठक विलंब से शुरू होने के कारण चले गये थे, थोड़ी देर बाद पुन: आये। श्री विद्रोही ने अपने चिकनगुनिया बीमारी के बारे में बताया और जाते-जाते कहा कि अब जिन्दगी में कभी सेवाग्राम नहीं आऊंगा।

37. सर्व सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं नई तालीम के अध्यक्ष डॉ. सुगन बरंठ ने श्री महादेव विद्रोही एवं श्री चंदन पाल को वाट्सअप द्वारा पत्र लिखकर कहा कि दोनों बापू कुटी में प्रार्थना करें। श्री महादेव विद्रोही स्थिति को समझकर अपने कदम वापस लें और वे जब भी जायें तो श्री चंदन उन्हें एयरपोर्ट तक विदा करने जरूर जायें। पर, श्री महादेव विद्रोही ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। गोवा के सामाजिक कार्यकर्ता श्री कलानंद मणि ने निवेदन किया कि श्री चंदन पाल और श्री महादेव विद्रोही दोनों बापू कुटी जायें और प्रार्थना करें, दोनों गले मिले और उस फोटो को फेसबुक पर शेयर करें। इसे भी उन्होंने ठुकरा दिया और कथित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित किया, जो आप देख सकते हैं। (यह वाट्सअप पर उपलब्ध है)। प्रेस कान्फ्रेंस में पहली बार 20 करोड़ रुपये की लालच की बात सामने आयी। सर्व सेवा संघ के विधान के अनुसार सभी चल-अचल परिसंपत्तियों के संबंध में मुख्य दायित्व प्रबंधक ट्रस्टी का है, लेकिन श्री महादेव विद्रोही प्रबंधक ट्रस्टी के बदले स्वयं इस भूमिका में संलग्न और सक्रिय थे। इसलिए कार्यकारिणी के सभी सदस्यों तथा अन्य पदाधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस खबर से सभी चौंक गये। बाद में खोजबीन करने पर पता चला कि यह मामला कोर्ट में लंबित है और ऐसी कोई राशि जल्दी मिलने वाली नहीं है।

38. अधिक ब्याज मिलने के नाम पर श्री महादेव विद्रोही के प्रयास से अहमदाबाद के बैंक में 58 लाख रुपये का एक फिक्स डिपॉजिट कराया गया। इसमें बैंक खाता परिचालन करने वालों तथा पदाधिकारियों की सहमति रही है। **यहां यह प्रश्न उठता है कि वर्धा**

और महाराष्ट्र में उक्त बैंक की शाखा होते हुए भी यह फिक्स डिपॉजिट अहमदाबाद में क्यों किया गया? क्योकि श्री महादेव विद्रोही अहमदाबाद में ही निवास करते हैं। इसका जवाब श्री महादेव विद्रोही ही दे सकते है।

39. सर्व सेवा संघ का अगला अधिवेशन सेवाग्राम, वर्धा में दिनांक 28-29 नवंबर, 2020 को होना तय था। इस अधिवेशन में अपेक्षा यह रखी गयी थी कि सभी सदस्य सेवाग्राम पहुंचे और मिलजुलकर समस्याओं का समाधान करें। प्रारंभ में सभी साथी सेवाग्राम आना चाहते थे।इसी बीच श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा 5-6 दिसंबर को आयोजित अधिवेशन रद्द कर दिये जाने के कारण स्थिति में नाटकीय परिवर्तन आया। श्री महादेव विद्रोही के गिने-चुनेसमर्थकों द्वारा महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना प्रकोप को बढ़ा चढ़ाकर भ्रम फैलाने का काम शुरू हुआ, ताकि वे भयाक्रांत होकर अधिवेशन में न पहुंचे। उन्हें यह बताया गया कि वर्धा पहुंचते ही कोरेन्टाइन कर दिया जायेगा। वास्तव में इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य अधिवेशन को बाधित करना था।

    जिलाधिकारी, वर्धा द्वारा 200 प्रतिनिधियों की भागीदारी से अधिवेशन सम्पन्न करने की अनुमति दे दिया गया था। इसी को ध्यान में रखकर अधिवेशन की व्यवस्था की जा रही थी। श्री विद्रोही और उनके राजनैतिक साथियों ने जिलाधिकारी को अधिवेशन की अनुमति रद्द करने के लिए कहा, लेकिन सरकार के गाइडलाईन के आधार पर जिलाधिकारी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इससे हताश होकर कुछ ग्रामपंचायतों का सहारा लिया गया और उनसे अधिवेशन न आयोजित करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजवाया गया।

    इसी बीच सर्व सेवा संघ द्वारा श्री महादेव विद्रोही के अध्यक्षीय काल में ही नियुक्त चुनाव अधिकारी श्री भवानी शंकर कुसुम जी का निधन हो गया। चूंकि अधिवेशन की तिथि नजदीक थी, लोग अपने-अपने रेल आरक्षण भी करवा चुके थे, सर्व सेवा संघ कार्यसमिति ने, श्री भवानी भाई द्वारा अपने सहयोगी के रूप में नियुक्त किये गये श्री रमेश पंकज को चुनाव अधिकारी घोषित किया।

40. श्री महादेव विद्रोही ने आनन-फानन में इसी बीच अपने निजी आवास अहमदाबाद से सर्व सेवा संघ के ऑनलाइन अध्यक्ष के चुनाव हेतु एक नोटिस निकाला और उस नोटिस के माध्यम से **3 दिनों के भीतर ऑनलाइन फार्म ले लेने की अनिवार्यता बतायी।** यह उल्लेखनीय है कि श्री महादेव विद्राही की उक्त नोटिस का न तो कोई प्रचार-प्रसार हुआ और न ही सभी लोकसेवकों को इसकी जानकारी दी गयी।

प्रसंगवश यह बताना उपयुक्त है कि बहुत से लोकसेवक ऐसे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग नहीं करते हैं। अंततः मात्र तीन लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए फार्म भरा, जिसमें से दो ने अपना नाम वापस ले लिया। श्री महादेव विद्रोही के प्रयास से **कथित चुनाव अधिकारी अरविन्द रेड्डी द्वारा शेष बचे श्री प्रदीप कुमार बजाज को अवैध तरीके से सर्व सेवा संघ का अध्यक्ष घोषित किया गया।**

यहां उल्लेखनीय यह है कि श्री महादेव विद्रोही ने अपने कार्यकाल में एक सर्कुलर निकाल कर सुनिश्चित किया था कि लगातार 5 वर्ष से लोकसेवक बने रहने के बाद ही कोई भी व्यक्ति सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष के चुनाव की योग्यता रखेगा। लोकसेवक का अनुमोदन राज्य के तीन सदस्यीय कमेटी करेगी और सर्व सेवा संघ के तीन सदस्यीय कमेटी के जांच के बाद लोकसेवक सूची पर आयेगी। इस आधार पर श्री महादेव विद्रोही ने गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का लोकसेवक सूची का नवीनीकरण नहीं किया, लेकिन प्रदीप बजाज को अध्यक्ष बनाने के लिए महादेव विद्रोही और अरविन्द रेड्डी इसका उल्लंघन किया।

41. श्री प्रदीप कुमार बजाज की अध्यक्षता को वैधानिकता प्रदान करने के लिए श्री महादेव विद्रोही के सामने सेवाग्राम अधिवेशन को बाधित करना आवश्यक हो गया। इस बीच 21 नवंबर की सर्व सेवा संघ कार्यकारिणी की जूम बैठक में 28-29 नवंबर को आयोजित अधिवेशन को टालने के लिए कुछ राज्य सर्वोदय मंडल के अध्यक्षों ने प्रस्ताव दिया, लेकिन **उनके प्रस्ताव में गलत तरीके से नियुक्त किये गये अध्यक्ष (श्री प्रदीप कुमार बजाज) के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया गया था, इसलिए सेवाग्राम अधिवेशन को सुनिश्चित किया गया।**
42. श्री महादेव विद्रोही स्थिति को भांपते हुए अपने तथाकथित कुछ राजनैतिक साथियों के माध्यम से सम्मेलन रोकने के लिए मुम्बई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में गुहार लगायी। माननीय उच्च न्यायालय ने 27 नवंबर 2020 को अपने निर्णय के द्वारा 200 के बदले 50 प्रतिनिधियों को सम्मेलन में भाग लेने की इजाजत दी। इस तरह से अधिवेशन सम्पन्न हुआ और संविधान के दायरे में उपस्थित सदस्यों के समर्थन से कार्यकारी अध्यक्ष श्री चंदन पाल को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया।
43. अध्यक्ष के चुनाव के बाद शुरू हुआ सर्व सेवा संघ वाराणसी की भू-संपत्ति पर स्थानीय प्रशासन का कब्जा।

वाराणसी के जमीन कब्जे के संदर्भ में आवश्यक बिन्दु

- **22 अक्टूबर 2019** को सर्व सेवा संघ के प्रधान कार्यालय से वाराणसी निवासी श्री प्रदीप कुमार बजाज को सर्व सेवा संघ के वाराणसी परिसर, राजघाट की क्रयशुदा जमीन की **मूल रजिस्ट्री नं. 3717 के दस्तावेज** स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया। यह निर्गत रजिस्टर में दर्ज है और स्पीड पोस्ट की रसीद उपलब्ध है। परंतु यह दस्तावेज किस उद्देश्य से और क्यों भेजा गया, इससे संबंधित न तो कोई पत्र कार्यालय में उपलब्ध है और न ही निर्गत-पंजी मेंकुछ उल्लेख है।
- श्री प्रदीप कुमार बजाज को जमीन कीरजिस्ट्री सं. 3717 का मूल दस्तावेज भेजा गया है, इस **तथ्य का पता 29.11.2019**को कार्यालय मंत्री श्री मारोती गावंडे के पत्र से चलता है, जिसमें लिखा गया है कि **उक्त दस्तावेज सं. 3717 श्री प्रदीप कुमार बजाज को भेजा जा चुका है। कारण का उल्लेख इस पत्र में भी नहीं है।**
- श्री मारोती गावंडे के पत्र **क्रमांक 217/2019-20 दि. 29.11.2019**में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि श्री प्रदीप कुमार बजाज को राजघाट परिसर, वाराणसी की क्रयशुदा जमीन के अन्य **मूल रजिस्ट्री सं. 2762 (पेज-5)**, 3245 **(पेज-6)**, **उद्धरण खतौनी (4 पेज) भेजा रहा है।**
- इसी पत्र में यह भी उल्लेख है कि श्री प्रदीप कुमार बजाज को **वाराणसी के व्यवसायी श्री राजेश जयसवाल का रखरखाव के आधार पर जमीन लेने से संबंधित पत्र भी भेजा गया है। यह पत्र वास्तव में वाराणसी की जमीन लेने के संबंध में श्री राजेश जयसवाल का पूर्व में प्राप्त प्रस्ताव है, जिसे उन्होंने सर्व सेवा संघ को दिया था। इस प्रस्ताव को असंगत मानते हुए सर्व सेवा संघ ने उसी वक्त ठुकरा दिया था। पूर्व अध्यक्ष श्री महादेव विद्रोही श्री राजेश जयसवाल की नवनिर्मित संस्था गांधीजन फाउंडेशन को सर्व सेवा संघ, वाराणसी की जमीन देना चाहते थे।**
- उक्त पत्र में यह भी उल्लेख है कि ‘‘काम पूरा हो जाने पर’’ श्री प्रदीप कुमार बजाज फोन द्वारा सूचित करें, ताकि कार्यकर्ता उनके पास जाकर दस्तावेज प्राप्त कर सकें। परंतु 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी श्री प्रदीप कुमार बजाज की ओर से न तो कोई फोन द्वारा सूचना दी गयी है और न ही दस्तावेज वापस किया गया है।
- रजिस्ट्री सं. 3717 का मूलदस्तावेज के संदर्भ में ऐसा मान लिया जाय कि श्री प्रदीप कुमार बजाज को दाखिल-खारिज कराने के उद्देश्य से भेजा गया था, तो दाखिल-खारिज के दावे को तहसीलदार न्यायिक, सदर वाराणसी में वाद संख्या

RST/13810/2019, मौजा-किलाकोहना, परगना – देहात अमानत, तहसीलसदार वाराणसी, दफा 34 एल.आर.एक्टको 31.08.2019 को तहसीलदार (न्यायिक) सदर, वाराणसी द्वारा **निरस्त किया जा चुका है।** श्री प्रदीप कुमार बजाज ने उक्त दस्तावेजको हस्ताक्षर एवं अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर तहसील न्यायालय से वापस ले लिया है। अग्रिम कार्रवाई की कोई जानकारी वाराणसी अथवा प्रधान कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इस मामले में ट्रस्टी मंडल के सदस्य श्री मधुसूदन उपाध्याय के निवेदन पर सर्व सेवा संघ प्रकाशन के संयोजक की ओर से मारोति गांवडे के पत्र के आलोक में श्री प्रदीप कुमार बजाज को वाराणसी जमीन से संबंधित सभी दस्तावेज प्रधान कार्यालय, सेवाग्राम अथवा शाखा कार्यालय, वाराणसी को सौंपने हेतु लिखा गया है, जिसकी प्रतिलिपि श्री महादेव विद्रोही एवं श्री मधुसूदन उपाध्याय को भेजी जा चुकी है। श्री प्रदीप कुमार बजाज की ओर से इस बाबत न तो कोई सूचना दी गयी है और न ही कार्यालय को दस्तावेज उपलब्ध कराया गया है।

- इस प्रकार **प्रबंधक ट्रस्टी, ट्रस्टी मंडल के सदस्यों अथवा अन्य किसी पदाधिकारी को जानकारी दिये एवं सहमति लिये बगैर वाराणसी की जमीनों से संबंधित मूल दस्तावेज 3717 के अलावा अन्य दो दस्तावोज 2762 (पेज सं. 5), 3245 (पेज संख्या 6) एवं उद्धरण खतौनी (4 पेज) श्री प्रदीप कुमार बजाज के पास भेजने का कोई औचित्य और प्रसंग नहीं है।**
- श्री प्रदीप कुमार बजाज के कथित अध्यक्ष घोषित होने के 10 दिनों के अंदर 02 दिसंबर 2020 को स्थानीय प्रशासन, वाराणसी ने सर्व सेवा संघ, राजघाट परिसर वाराणसी की जमीन अराजी नं. 8 को घेर लिया, जिसका तत्काल प्रतिवाद सर्व सेवा संघ के द्वारा 05 दिसंबर 2020 को किया गया। पुन: 15 दिसंबर 2020 को सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष चंदन पाल एवं प्रबंधक ट्रस्टी अशोक कुमार शरण के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल वाराणसी के मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी से मिलकर प्रशासन की गैरकानूनी कार्यवाई को संज्ञान में लाया और सर्व सेवा संघ की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का आग्रह किया। तब से लेकर आज तक सर्व सेवा संघ राजघाट परिसर से अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रयासरत है।
- श्री प्रदीप कुमार बजाज का एक दल विशेष के प्रति जुड़ाव रहा है, इस बात की जानकारी उनसे परिचित हर व्यक्ति को थी। फिर भी उन्हें संविधान की मर्यादा का घोर उल्लंघन करते हुए 'लोकसेवक' बनाया जाता है और गांधीवादी व समाजसेवक

के रूप में उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है। उनके राजनैतिक सूत्रबद्धता को नजरअंदाज कर दिया जाता है, परंतु 'सत्य' लंबे समय तक परदे के पीछे नहीं रहता। 19 फरवरी 2022 को श्री प्रदीप कुमार बजाज को समाजवादी पार्टी का सचिव नियुक्त कर दिया गया है। इस तरह एक वर्ष से भी ज्यादा समय से चला आ रहा भ्रम दूर हो गया। समाजवादी पार्टी के सर्कुलर (उपलब्ध) से सिद्ध हो गया कि वे इस दल से जुड़े रहे हैं।

- सत्य पर पड़े आवरण के तार-तार होते ही महादेव भाई के खेमे में हलचल मच गयी। अब तो श्री प्रदीप कुमार बजाज को अध्यक्ष के रूप में बनाये रखना 'लोकनिन्दा'का विषय बन गया। अत: 19 मार्च 2022 को नये अध्यक्ष चुनने के लिए एक ऑनलाईन बैठक आयोजित की गयी। इसी ऑनलाईन बैठक में अरविन्द रेड्डी को कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया। 'जयजगत' व्हाट्सअप ग्रुप पर अरविन्द रेड्डी के कार्यवाहक अध्यक्ष चुने जाने की सूचना तो आयी, लेकिन श्री प्रदीप कुमार बजाज को अध्क्षक्ष पद से हटाने की कोई जानकारी नहीं दी गयी।
- **साबरमती आश्रम के आवास का मुआवजा**

  केन्द्र एवं गुजरात सरकार द्वारा साबरमती आश्रम को 'स्मार्ट' बनाने का काम जारी है। साबरमती परिसर में महात्मा गांधी द्वारा बसाये गये दलित परिवारों एवं आश्रम के आवासों में रह रहे निवासियों ने उजड़ने की आशंका से प्रारंभ में साबरमती आश्रम परिक्षेत्र को भव्य बनाने की योजना का विरोध किया, जिसमें श्री महादेव विद्रोही भी शामिल थे। सरकार ने इस विरोध को शांत करने के लिए आश्रम परिक्षेत्र के सभी निवासियों को तीन बेड रूम का आवास उपलब्ध कराने या 60 लाख रुपये के पैकेज की घोषणा कर डाली। महादेव भाई ने स्वयं के आवास एवं चुनी काका के आवास (जिसपर उनका और उनके परिवार का कब्जा था) के लिए **1 करोड़ 20 लाख रुपये लेकर आश्रम परिसर से अपने 'उच्च नैतिक मापदंड' के साथ रवाना हो गये। ज्ञात हो कि ये आवास आश्रम के हैं, श्री महादेव विद्रोही और उनके परिवार का नहीं।**

विचारणीय बिन्दु

1- पहले, 22 अक्टूबर 2019 को वाराणसी परिसर की क्रयशुदा जमीन के मूल रजिस्ट्री सं. 3717 को बिना किसी पत्र या उल्लेख के, श्री महादेव विद्रोही के निर्देश पर श्री प्रदीप कुमार बजाज को कार्यालय द्वारा भेजा जाता है।

2- फिर, 29 नवंबर 2019 को पत्रांक 257/2019-20 के साथ राजघाट परिसर, वाराणसी की क्रयशुदा जमीन की मूल रजिस्ट्री के दस्तावेज सं. 2762 (पेज-5), 3245 (पेज-6) तथा उद्धरण-खतौनी (पेज-4) पूर्व अध्यक्ष श्री महादेव विद्रोही के ही निर्देशानुसार श्री प्रदीप कुमार बजाज को भेज दिया जाता है।

3- श्री राजेश जयसवाल के प्रस्ताव को सर्व सेवा संघ द्वारा ठुकरा दिये जाने की बात पूर्व अध्यक्ष श्री महादेव विद्रोही जानते थे, फिर भी, उक्त प्रस्ताव मूल दस्तावेजों के साथ श्री प्रदीप कुमार बजाज को भेजा जाता है।

4- श्री प्रदीप कुमार बजाज को ही अगस्त 2020 में अवैधानिक रूप से ऑनलाईन लोकसेवक/सदस्य बना दिया जाता है।

5- श्री प्रदीप कुमार बजाज को अगले 3 महीने यानी नवंबर 2020 में कथित तौर पर श्री महादेव विद्रोही द्वारा अध्यक्ष घोषित कियाजाता है।

6- श्री प्रदीप कुमार बजाज के कथित अध्यक्ष बनने के मात्र 10 दिनों बाद ही सर्व सेवा संघ, वाराणसी की जमीन के एक हिस्से पर प्रशासन ने 2 दिसंबर 2020 को कब्जा कर लिया।

7- और, खुद को संस्था का कथित अध्यक्ष एवं प्रबंधक ट्रस्टी का क्रमश: दावा करने वाले श्री प्रदीप बजाज और श्री महादेव विद्रोही इस मामले में मौन रहे हैं।

8- संविधान के अनुसार सर्व सेवा संघ के सभी चल-अचल संपत्तियों के संबंध में निर्णय व नियमन का अधिकार ट्रस्टी मंडल एवं प्रबंधक ट्रस्टी का है। पर, पूर्व अध्यक्ष श्री महादेव विद्रोही द्वारा अधिकार का दुरुपयोग किया गया है।

उपसंहार

'श्वेत पत्र'के दायरे के अनुरूप सभी घटनाक्रमों को संयोजित करने का हमने प्रयास किया है। उपरोक्त तथ्यों की जांच-परख आप भी करसकते हैं। हम आशा करते हैं कि उल्लिखित यह बयान सर्व सेवा संघ के आकाश में छाये धुंधलेपन को दूर करने में सहायक होगा और रोशनी मिलेगी। किसी भी संगठन, समूह या व्यक्ति के लिए भ्रम में रहना एक सामयिक अवस्था हो सकती है, लेकिन इसका ज्यादा दिन बने रहना हितकारी नहीं है। अब समय आ गया कि सर्व सेवा संघ अपने धुंधलेपन से निकलकर स्पष्ट दिशा एवं प्रतिबद्धता के साथ

भविष्य का कदम बढ़ाये। हमारे सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं, जिनका सामना मिलजुलकर और संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ करना है।

(चंदन पाल)	**(अशोक कुमार शरण)**	**(गौरांग चन्द्र महापात्र)**
अध्यक्ष	**प्रबंधक ट्रस्टी**	**महामंत्री**

सर्व सेवा संघ, महादेवभाई भवन, सेवाग्राम – 442 102, जि.वर्धा (महाराष्ट्र)